न्यायालय तहसीलदार (भू–अ.), श्री करणपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम – श्री जगदीश चन्द्र बिश्नोई

प्रकरण संख्या – 11/2019

अनवान – बलविन्द्र सिंह पुत्र जगीन्द्र सिंह जाति जट्टसिख निवासी 30 एच, तहसील श्री करणपुर जिला श्री गंगानगर बनाम हरखासआम।

किस्म मुकदमा – वसीयत के अनुसार नामान्तरण किये जाने बाबत।

वसीयतकर्त्ता का नाम – जगीन्द्र सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह जाति जट्टसिख निवासी 30 एच, तहसील श्री करणपुर

–: निर्णय :–

दिनांक – 26.08.2020

आज पत्रावली निर्णय हेतु पेश हुई। पत्रावली का अध्ययन किया गया। जिसका संक्षिप्त सार निम्न प्रकार है–

प्रार्थी बलविन्द्र सिंह पुत्र जगीन्द्र सिंह जाति जट्टसिख निवासी 30 एच, तहसील श्री करणपुर जिला श्री गंगानगर ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि जगीन्द्र सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह जाति जट्टसिख निवासी 30 एच, तहसील श्री करणपुर ने चक 30 एच के मु.नं. 41 की 3.163 हैक्ट. भूमि में से 1.139 हैक्ट. नहरी भूमि की वसीयत दिनांक 21.03.2013 को निर्मल सिंह, बलविन्द्र सिंह, परमिन्द्र सिंह पि जगीन्द्र सिंह जाति जट्टसिख निवासी 30 एच के पक्ष में की है, जिसका प्रार्थी के पक्ष में नामान्तरण किया जावे। प्रार्थी द्वारा नोटरी, श्री करणपुर से प्रमाणित वसीयत, मृत्यु प्रमाण पत्र, वारिस प्रमाण पत्र पेश किया है।

संलग्न वसीयत का अवलोकन किया गया जिसके अनुसार वसीयतकर्त्ता ने चक 30 एच के भु.नं. 41 की 3.163 हैक्ट. भूमि में से 1.139 हैक्ट. नहरी भूमि निर्मल सिंह, बलविन्द्र सिंह, परमिन्द्र सिंह पि जगीन्द्र सिंह जाति जट्टसिख निवासी 30 एच के नाम करने की इच्छा जाहिर की है। वसीयत पत्र नोटरी, श्री करणपुर से दिनांक 21.03.2013 की प्रमाणित है। प्रार्थी द्वारा वसीयत के साथ मृत्यु प्रमाण पत्र जिसमें मृत्यु दिनांक 16.04.2018 को हुई है, पेश किया गया है।

पटवारी हल्का रामगढ संगर से रिपोर्ट प्राप्त की गई। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी चक 30 एच के मु.नं. 41 की 3.163 हैक्ट. भूमि में से 1.139 हैक्ट. नहरी भूमि जगीन्द्र सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह जाति जट्टसिख निवासी 30 एच के नाम दर्ज रिकार्ड है। रकबा खातेदारी है, स्वअर्जित है तथा कोई विवाद/स्थगन आदेश नहीं है, सिलींग सीमा से प्रभावित नहीं है, सार्वजनिक कार्य हेतु अवाप्त नहीं है, कब्जा वारिसों का है, रकबा रहन, बैय नहीं है।

इस न्यायालय के पत्रांक व.प्र./भूअ/2018/642–43 दिनांक 19.03.2019 द्वारा वसीयत के सम्बन्ध में आपत्ति/ऐतराज बाबत किसी दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित करने के लिये विज्ञप्ति/सार्वजनिक सूचना जारी की गई। जो कि दैनिक समाचार पत्र सीमा सन्देश के दिनांक 03.05.2019 के अंक में प्रकाशित हुई। सार्वजनिक सूचना प्रकाशित होने के बाद आज दिनांक तक इस वसीयत के सम्बन्ध में कोई आपत्ति/ऐतराज प्राप्त नहीं हुआ है।

वसीयत में दर्ज गवाहान सुरेन्द्र सिंह पुत्र महताब सिंह जाति जट्टसिख निवासी 15 एफएफ व गुरदीप सिंह पुत्र तरसेम सिंह जाति जट्टसिख निवासी 30 एच, तहसील श्री करणपुर ने दिनांक 11.03.2020 को उपस्थित होकर अपने बयान दर्ज करवाये कि वसीयतकर्त्ता जगीन्द्र सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह द्वारा उनके समक्ष वसीयत लिखवाई गई थी जो सही है एवं वसीयत अपनी स्वेच्छा व रजामन्दी से करवाई बताया गया।

पत्रावली का गहन अवलोकन किया गया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र मय संलग्न कागजात, पटवारी हल्का रिपोर्ट, वसीयत के गवाहान के बयान एवं सीमा सन्देश में विज्ञप्ति प्रकाशन के उपरान्त आज तक कोई आपत्ति/ऐतराज प्राप्त नहीं हुआ। इससे वसीयत की सत्यता प्रमाणित होती है। अतः प्रार्थी का वसीयत के आधार पर नामान्तरण स्वीकार किया जाता हैं तथा पटवारी को आदेशित किया जाता है कि यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं हो तथा मौके पर कब्जा आदि का विवाद नहीं हो तो प्रार्थी के मूल दस्तावेज का मिलान करते हुये वसीयत अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

26/8

तहसीलदार (भू.अ.)
श्रीकरणपुर
तहसीलदार (भू.अ.)
श्री करनपुर

कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.) श्रीकरनपुर

क्रमांक/भू.अ/2020/10326 दिनांक 31.8.2020

वसीयत के आदेश की कॉपी हल्का पटवारी रामगढ़ सेंगर को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश की पालना कर रिपोर्ट पेश करे।

...दार (भू. अ.)
...रणपुर